ई–मेल–आई0डी0–cwlwup@gmail.com
मा0 अधिकरण/ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 3866 /10–1(Appeal No. 07/2022, IA No. 50/2022&51/2022) लखनऊः दिनांकः 09 मार्चः 2023

सेवा में,

कन्सल्टेन्ट(जुडिसियल),
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान बेन्च–नई दिल्ली।
(judicial-ngt@gov.in)

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Appeal No. 07/2022, IA No. 50/2022&51/2022** के संबंध में।

सन्दर्भः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 के कम में ई–मेल के माध्यम से निर्गत नोटिस दिनांक 02.03.2023।

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक वाद के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के प्रभावी अंश, **"....One of the grounds of challenge to the environmental clearance is that the mining site is the habitat of crocodiles which is protected under Section 9 of Wild Life(Protection) Act, 1972.*<u>We consider it appropriate to seek a Factual Verification Report in this regard from the Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh and Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh."</u>*** के अनुपालन में स्थलीय सत्यापन करने एवं निर्देशानुसार मा0 अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मा0 अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति में अधोहस्ताक्षरी (Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh) की ओर से वांछित कार्यवाही करने हेतु विषयक वाद से आच्छादित क्षेत्र के सक्षम अधिकारी, को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1178/10–1(Appeal No. 07/2022, IA No. 50/2022&51/2022) दिनांक 07.10.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झॉसी को नामित किया गया।**(संलग्नक–1)**

उक्त के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झॉसी ने अपने कार्यालय पत्र 1083/10–केस(एन0जी0टी0–उरई) दिनांक 15.10.2022 द्वारा संबंधित Applicant व Representative of the Project Proponent की उपस्थिति में प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु सूचना दी गयी।**(संलग्नक–2)**

उक्त के कम में उपरोक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 07/2022, IA No. 50/2022&51/2022 Ghanai vs Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) UP & Ors. में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 31.10.202022 को मा0 अधिकरण की ई–मेल आई0डी0–judicial-ngt@gov.in पर सम दिनांक 31.10.2022 को अपरान्ह् 4:42 बजे अधिकृत ई–मेल–आई0डी0–ccfjhansi@gmail.com के माध्यम से प्रेषित की गयी।**(संलग्नक–3)**

उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 23.02.2023 को आदेश पारित किया गया है। आदेश का प्रभावी अंश निम्नानुसार हैः–

"...........4. None has appeared for Respondent No. 4-Chief wildlife Warden, Government of U.P. and Respondent No. 6-the MoEF&CC. Notices be issued to them requiring them to file their response to the report of the above said Joint Committee.

5. Objection, if any, by the appellant or any of the respondents and specific response by Respondents No. 1, 4 and 6 be filed within 15 days by email at <u>judicial-ngt@gov.in</u> preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF."

वर्तमान में मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.02.2023 के कमागत जारी विषयक संदर्भित नोटिस दिनांक 02.03.2023 के अनुपालन में उक्त संयुक्त समिति द्वारा मा0 अधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.10.2022 पर प्रतिवादी संख्या–4 **Chief Wildlife Warden, Goverment of Uttar Pradesh** की ओर से वांछित/अपेक्षित प्रतिकिया के रूप में उक्त आख्या की पुनरावृत्ति (Reiterate) की जाती है।

विषयक वाद के संदर्भ में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 के कमागत जारी विषयक संदर्भित नोटिस दिनांक 02.03.2023 के अनुपालन में उपरोक्त कथन को स्वीकार किए जाने का अनुरोध है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील चौधरी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट टाइगर/
मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्याः– 3866 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः 1–मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक–को0के0 824/6ई–2 (एन0जी0टी0), दिनांक 15.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ (नोडल अधिकारी, कोर्ट केस) को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत वाद में सुनवाई तिथि 15.03.2023 को शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से वाद की प्रास्थिति से मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए प्रभावी पैरवी कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(सुनील चौधरी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट टाइगर/
मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक-01

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1178 /10–1 (Appeal No. 07/2022(I.A. No.50/2022 & I.A.No. 51/2022)), दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 07,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन,
उत्तर प्रदेश, झांसी।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No. 07/2022 (I.A. No.50/2022 & I.A.No. 51/2022) Ghanai vs State Level Environment Impact Assessment Athourity (SEIAA), U.P. & Ors में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विषयक वाद में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 **(प्रति संलग्न)**

2–कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को पत्रांक–को0के0 576/6ई–2 (एन0जी0टी0), दिनांक 30.09.2022

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विषयक वाद में पारित सन्दर्भित आदेश दिनांक 21.09.2022 को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पृष्ठांकन पत्र दिनांक 30.09.2022 द्वारा अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

विषयक वाद उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत जालौन, उरई जनपद के ग्राम–नंदहा के गाटा संख्या–03 ग क्षेत्रफल 8.502 हे0 में मै0 आर0एन0एस0 प्रा0लि0 द्वारा नदी बालू/मौरम के खनन के सम्बन्ध में State Level Environment Impact Assessment Athourity (SEIAA), U.P. द्वारा प्रदत्त इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस दिनांक 03.12.2021 के विरूद्ध दायर आई0ए0 से सम्बन्धित है।

उक्त वाद की सुनवाई करते हुए मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का बिन्दु संख्या–5 निम्नानुसार उद्धृत हैः–

"........5-One of the grounds of challenge to the environmental clearance is that the mining site is the habitat of crocodiles which is protected under Section 9 of Wild Life (Protection) Act, 1972. *We consider it appropriate to seek a Factual Verification Report in this regard from the Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh and Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh.* The Joint Committee shall meet **within three weeks,** undertake site visits, associate the applicant and representative of the project proponent, verify the factual position as to whether area in question is habitat of the crocodiles or whether mining activities will be having adverse impacts on crocodile or whether mining activities will be having adverse impacts on crocodile or any other reptiles/wildlife's habitat, breeding etc. Factual Verification Report may be furnished **within one month** by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

मा0 अधिकरण द्वारा निर्गत उक्त आदेश अंश, *"We consider it appropriate to seek a Factual Verification Report in this regard from the Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh and Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh."* के अनुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय सत्यापन करने एवं निर्देशानुसार मा0 अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित संयुक्त समिति में अधोहस्ताक्षरी (Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh) की ओर से वांछित कार्यवाही करने हेतु आपको नामित किया जाता है। कृपया प्रकरण के सन्दर्भ में

Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh से समन्वय स्थापित कराकर Applicant and representative of the project proponent की उपस्थिति में संयुक्त समिति द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रकरण के सन्दर्भ में उठाए गए बिन्दुओं पर Factual Verification Report तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष E-mail द्वारा मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF के रूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि वाद में सुनवाई की तिथि 01.11.2022 नियत है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

07/10/2022

(के0 पी0 दूबे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 1178 **/उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ।
3. चेयरमैन, बेतवा रीवर बोर्ड, उ0प्र0 को द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी के माध्यम से सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07/10/2022

(के0 पी0 दूबे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक–02

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झांसी

Ph.No-0510-2472068 121, सिविल लाईन, वन विभाग, झांसी Email- ccfjhansi@gmail.com

पत्रांक– 1083 /10–केस (एन0जी0टी0–उरई) दिनांक, झांसी, अक्टूबर, 15 , 2022

सेवा में,

1–मुख्य अभियंता,
बेतवा रिवर बोर्ड, नन्दनपुरा, झांसी।
2–मैसर्स, आर0एन0एस0 प्रा0लि0, द्वारा:–प्रभागीय वनाधिकारी, उरई।
पार्टनर श्री देवनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह,
निवासी–299, मुंशीपुर, मऊनाथभंजन, जिला–मऊ, पिन–275304, उ0प्र0।
3–श्री घनाई पुत्र श्री बिन्दे, द्वारा:–प्रभागीय वनाधिकारी, उरई।
निवासी–1045, नारोघाट, कोटरा, जालौन, पिन–285223, उ0प्र0।

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No- 07/2022 (I.A No. 50/2022 & I.A No. 51/2022) Ghanai vs Environment Impact Assesment Authourity (SEIAA) UP & Ors में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– 1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र सं0 1178/10–1 Appeal No-07/2022 (I.A No. 50/2022 & I.A No. 51/2022) दिनांक 07.10.2022
2–इस कार्यालय का पत्र सं0 1033/10–केस (एन0जी0टी0) दिनांक 12.10.2022
3–Under secretary to the Government of India, Ministry of Jal Shakti, Dept. Of WR, RD & GR (Peninsular River Wing), Srishi Bhawan, New Delhi F.No R-24011/33/2022-PR Dated 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No-07/2022 (I.A No. 50/2022 & I.A No. 51/2022) Ghanai vs Environment Impact Assesment Authourity (SEIAA) UP & Ors में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण प्रतिनिधि, चेयरमैन बेतवा रिवर बोर्ड, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा Applicant व Representative of the Project proponent की उपस्थिति में किया जाना है।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण हेतु दिनांक 21.10.2022 पूर्वान्ह 11.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है। अतः कृपया निर्धारित तिथि को मौके पर निरीक्षण हेतु ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,
15.X.22
(के0के0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झाँसी

मा0/ना0/अधि...

पृष्ठांकन– 1083 /अ, समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।
2–वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3–प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन सा0वा0 प्रभाग, उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारियां करते हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी, एट व स्टाफ सहित निरीक्षण के समय उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

तत्काल
आवश्यक
Dy CWLW
17/10/2022
PCCF (WL)
17/10/2022

15.X.22
(के0के0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झाँसी

पृष्ठांकन– 1083 /ब, समदिनांक

प्रतिलिपि जिला खनन अधिकारी, उरई द्वारा जिला अधिकारी, जालौन स्थान उरई को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार निरीक्षण तिथि को मौके पर उपस्थित रहने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15.X.22
(के0के0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झाँसी

संलग्नक-03

388

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Appeal No.-07/2022 (I.A. No. 50/ 2022 & I.A. No. 51/2022) Ghanai vs Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) UP & Ors** में पारित आदेश दिनांक 21.09.22 के क्रम में,संयुक्त निरीक्षण आख्या

जनपद–जालौन, तहसील–उरई के अन्तर्गत स्थान ग्राम–नन्धा के गाटा संख्या–3ग, खण्ड सं0–03, रकबा–8.502 हे0 21 एकड़ का बालू खनन पट्टा मेसर्स आर0एन0एस0 प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर श्री देवनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह निवासी–229 मुंशीपुर मऊनाथभंजन मऊ, उ0प्र0 के पक्ष में 2022 से 2027 तक के लिये स्वीकृत किया गया है।

श्री घनई पुत्र बिन्दे निवासी–1045, मु0 नारोघाट, कस्बा–कोटरा, जालौन, उ0प्र0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No.-07/2022 (I.A. No. 50/2022 & I.A. No. 51/2022) Ghanai vs Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) UP & Ors में दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्न प्रकार है–

"One of the grounds of challenge to the environmental clearance is that the mining site is the habitat of crocodiles which is protected under Section 9 of Wild Life (Protection) Act, 1972. We consider it appropriate to seek a Factual Verification. Report in this regard from the Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh and Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh. The Joint Committee shall meet within three weeks, undertake site visits, associate the applicant and representative of the project proponent, verify the factual position as to whether area in question is habitat of the crocodiles or whether mining activities will be having adverse impacts on crocodiles or any other reptiles/wildlife's habitat, breeding etc."

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–1178 / 10–1, दिनांक 07.10.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी को प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण एवं वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा स्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh के प्रतिनिधि नामित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, बेतवा परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी को पत्र सं0–1033 / 10 केस (एन0जी0टी0), दिनांक 12.10.2022 भेजा गया एवं दिनांक 21.10.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रस्तावित की गयी। तत्क्रम में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–एफ0नं0–आर0–24011 / 33 / 2022–पी0आर0, दिनांक 14.10.2022 से मुख्य अभियंता, बेतवा रिवर बोर्ड, नन्दनपुरा, झांसी, उ0प्र0 को प्रतिनिधि नामित किया गया। मुख्य अभियंता, बेतवा नदी परिषद, झांसी के पत्र सं0–256 मु0अ0 / बे0न0प0 / वन विभाग, दिनांक 17.10.2022 के द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण तिथि दिनांक 21.10.2022 के स्थान पर दिनांक 20.10.2022 किये जाने हेतु लिखा गया, तदानुसार दिनांक 20.10.2022 अपरान्ह 03:00 बजे का समय प्रश्नगत खनन पट्टा स्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु निश्चित किया गया।

DYCWLW

प्रकरण में दिनांक 20.10.2022 अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी प्रतिनिधि (Principal Chief Conservator of Forests, Wild Life, State of Uttar Pradesh), मुख्य अभियंता,

PCCF(WL) by [signature] 31/10/2022

31.10.22

बेतवा नदी परिषद, झांसी प्रतिनिधि (Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh), प्रभागीय वनाधिकारी उरई, जिला खनन अधिकारी उरई, श्री घनई पुत्र बिन्दे निवासी–1045, मु0 नारोघाट, कस्बा–कोटरा, जालौन, उ0प्र0 (शिकायतकर्ता), श्री आलोक सिंह, प्रतिनिधि मेसर्स आर0एन0एस0 प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर श्री देवनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह निवासी–229 मुंशीपुर मऊनाथभंजन मऊ, उ0प्र0 एवं राजस्व निरीक्षक आदि की उपस्थिति में प्रश्नगत खनन स्थल का निरीक्षण किया गया।

जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत खनन पट्टा वर्ष 2022–23 में दिनांक 03.01.2022 से 02.01.2027 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है परन्तु अभी तक खनन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इसके पूर्व यह खनन खण्ड/पट्टा दिनांक 21.11.2005 में स्वीकृत किया गया जोकि दिनांक 16.10.2006 में समर्पण कर दिया गया था।

प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अपीलकर्ता श्री घनई पुत्र बिन्दे निवासी–1045, मु0 नारोघाट, कस्बा–कोटरा, जालौन, उ0प्र0 द्वारा मौके पर दिये गये अपने लिखित बयान में कहा है कि उन्होंने मा0 एन0जी0टी0 में कोई अपील दायर नहीं की है। श्री घनई द्वारा एक शपथ–पत्र दिनांक 15.10.2022 भी दिया है, जिसमें उन्होंने उक्त अपील योजित न किये जाने एवं अपील से कोई सरोकार न होने के बारे में लिखा है।

प्रश्नगत स्थल पर दिनांक 20.10.2022 को संयुक्त निरीक्षण के समय नदी एवं नदी के बाहर बालू क्षेत्र में मगरमच्छ व अन्य जलचरों आदि के पाये जाने के बारे में गहन निरीक्षण किया गया, परन्तु कहीं मगमच्छ नहीं दिखाई दिये। निरीक्षण के समय उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में बहुतायत में मगरा (मगरमच्छ का स्थानीय नाम) दिखाई देते हैं तथा अन्य जलचरों/सरीसृपों/अन्य वन्य जीवों के बारे में पूंछे जाने पर उन्होंने अनभिज्ञता व्यक्त की, साथ ही यह भी बताया कि अभी अपरान्ह है, ज्यादातर मगर प्रातःकाल में दिखाई देते हैं।

ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में मगरमच्छ प्रातःकाल में पाये जाने की जानकारी दिये जाने की पुष्टि हेतु दिनांक 28.10.2022 को प्रातःकाल 07:00 से 09:00 बजे के मध्य पुनः पहुंचकर प्रश्नगत स्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया। नदी में, नदी के किनारों पर, बालू के क्षेत्र में पैदल एवं पानी में नाव द्वारा निरीक्षण के दौरान मगरमच्छ सीधे तौर पर कहीं नहीं दिखाई दिये परन्तु नदी के किनारे से बालू की तरफ एवं दोनों किनारों के बीच जमा बालू में मगरमच्छ के पद चिन्ह व सरकने–घिसटने के निशान स्पष्ट रूप से पाये गये, जिसके मौके पर फोटोग्राफ्स भी लिये गये। अतः इस आशय की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ पाये जाते हैं।

निष्कर्ष स्वरूप इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रश्नगत क्षेत्र में मगरमच्छ नहीं हैं। परन्तु इस क्षेत्र में मगरमच्छ का सघन प्राकृतवास (Natural Habitat) पाया जाना परिलक्षित नहीं होता है। मौके पर निरीक्षण के समय वर्तमान जारी खनन पट्टे के सापेक्ष खनन की गतिविधि नहीं पायी गयी।

31/10/22

(राजपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता
बेतवा नदी परिषद, झांसी

(के0के0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, झांसी

from: CCF Jhansi <ccfjhansi@gmail.com>

to: judicial-ngt@gov.in

cc: cwlwup <cwlwup@gmail.com>, CCF Court Case <ccfcourt@gmail.com>

date: Oct 31, 2022, 4:42 PM

subject: Reg- NGT Appeal No.-07/2022-Site Visit Report

mailed-by: gmail.com

signed-by: gmail.com

security: Standard encryption (TLS) Learn more